झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
आर्विट्रेशन अपील संख्या–02 / 2013

1. मन मोहन वर्मा, पुत्र–स्वर्गीय गोवर्धन दास वर्मा, निवासी–4 एफ अशोक नगर, धनसार, डाकघर–धनसार, थाना–बैंक मोड़, जिला–धनबाद।

2. मेसर्स प्री–स्ट्रेसड उद्योग प्रा0 लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी, जिसका प्रधान कार्यालय, अशोक नगर, धनबाद, डाकघर–धनसार, थाना–बैंक मोड़ जिला–धनबाद द्वारा–मन मोहन वर्मा, पुत्र–स्वर्गीय गोवर्धन दास वर्मा, निवासी–4 एफ अशोक नगर, धनसार, डाकघर–धनसार, थाना–बैंक मोड़, जिला–धनबाद।

.... अपीलकर्त्तागण / आवेदकगण

बनाम्

1. मेसर्स एप्कोन होम्स (प्रा0) लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित एक कंपनी है, जिसका कार्यालय बाबू बाजार, डाकघर–गर्दनीबाग, थाना–गर्दनीबाग, जिला–पटना (बिहार) और इसका शाखा कार्यालय पुलिस लाइन, हीरापुर, डाकघर, थाना एवं जिला–धनबाद में है। इसके निदेशक श्री धीरज कुमार सिंह, श्री अमरेंद्र नारायण सिंह के पुत्र, चंद्र विहार कॉलोनी, डाकघर एवं थाना–धइया, जिला–धनबाद है।

2. कौशल कुमार सिंह, श्री परमानंद सिंह के पुत्र, 15 सी0एच0 क्षेत्र के निवासी, डाकघर–जमशेदपुर, थाना–साकची, टाउन–जमशेदपुर, जिला–पूर्वी सिंहभूम

.... उत्तरदातागण / विपक्षी पक्ष

<u>कोरमः</u> माननीय न्यायमूर्ति श्री डी0एन0 पटेल

वादी के लिए : मेसर्स इंद्रजीत सिन्हा, कृषाणु राय और अमिताभ प्रसाद, अधिवक्तागण
उत्तरदाता सं0 1 के लिए : श्री बीरेंद्र वर्मन, अधिवक्ता।
श्री जितेन्द्र त्रिपाठी, अधिवक्ता।

<u>17 / दिनांकः 21वीं जनवरी, 2016</u>

1. यह मध्यस्थता अपील, सिविल जज (वरीय डिवीजन) प्रथम, धनबाद द्वारा दिनांक 10.10.2012 को मिस (आर्विट्रेशन) वाद सं0 28 / 2011 में पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल किया गया है। इन अपीलकर्त्ताओं द्वारा उक्त आवेदन अंतरिम रोक हेतु मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत दाखिल की गई है।

2. अपीलकर्त्ताओं के उक्त आवेदन को दिनांक 10.10.2012 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था तथा, उसके बाद, यह अपील दाखिल की गई है।

3. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुनने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि अब दिनांक 01.08.2013 को मध्यस्थ द्वारा पंचाट पारित किया गया है और इसलिए, यह अपील, ट्रायल कोर्ट द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अधीन पारित आदेश के विरूद्ध बचा रह सकता है।

4. इसलिए, इस मध्यस्थता अपील को खारिज कर दिया जाता है।

5. इस मध्यस्थता अपील में पारित अंतिम आदेश के मद्देनजर, आई0ए0, यदि कोई हो, दायर किया गया है और लंबित है, तो खारिज किया जाता है।

(डी0 एन0 पटेल, न्याया0)